

:- आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर चयनित नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन स्थान में उनके नामों के आगे अंकित अनुसार संशोधन किया जाता है:-

क्रं. सं.	नाम चिकित्सा अधिकारी	मेरिट	जन्मतिथि	आदेश क्रं. व दिनांक	वर्ग	पूर्व पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1.	डा. महिपाल सिंह, पुत्र श्री श्रीपालसिंह, गांव भागूमील का वास, पोस्ट रहनावा, वाया बलारा, सीकर	100	17-07-81	130/12-09-08	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र गाडोता (सीकर)	प्रा0स्वा0केन्द्र बेसवा (सीकर)
2.	डा. धीरज वैष्णव, पुत्र श्री ओम प्रकाश वैष्णव, रा0 सी0 उ0 मा0 वि0 जेताना, अजमेर	187	17-11-81	134/15-09-08	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र प्राणहेडा (अजमेर)	सामु0स्वा0केन्द्र जवाजा (अजमेर)
3.	डा. अतुल वर्मा, III/180, ए.जी. कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर	224	13-04-79	140/17-09-08	SC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र सराना (अजमेर)	सामु0स्वा0केन्द्र सुवाना (भीलवाडा)
4.	डा. ओम प्रकाश सोलंकी, द्वारा श्री विजेन्द्रसिंह चौधरी, N-IV-35, जी.ए.डी. क्वाटर्स,, नागनेची मन्दिर के पास, पवनपुरी, दक्षिण विस्तार, बीकानेर	227	01-07-80	130/12-09-08	SC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र जैसाना (हनुमानगढ)	सामु0स्वा0केन्द्र गोलूवाला (हनुमानगढ)

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश में अंकित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।